सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07/05/18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार - 2018 ' कैम्प पेमासर के लिए नियत करने पर पेश हुई | कैम्प में वादीगण उप० | प्रतिवादी सं० 3, 6 व 7 उप० | वादीगण ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 RTA के तहत पेश किया है जिसके तहत वादग्रस्त भूमि ग्राम पेमासर के खसरा नम्बर 208, 209, 210, 125, 126, 129, 140 तादादी 15.72 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 व 11 की संयुक्त खाते की भूमि है जिसके वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से (कब्जे के हिसाब से) पर काबिज काश्त है वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा है, जिसके फलस्वरूप वादीगण अपनी खाते

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सुधार के लिए खाता विभाजन करवाया चाहते हैं।

प्रकरण में वादपत्र के जवाब में प्रतिवादी सं.1 ता 11 की ओर से वकील घनश्याम जमाल ने उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि उन्हें पक्षकार में वादी द्वारा उल्लेखित हिस्सा, खसरा व रकबा तथा कब्जे की हद तक दावा स्वीकार है और इस आधार पर यदि खाता विभाजन किया जाता है, तो उन्हें प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

हमने प्रकरण व उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। आज कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत पक्षकारों (वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 3, 6 व 7) को सुना। उपस्थित पक्षकारों के निवेदन के आधार पर प्रकरण को आज लोक अदालत/कैम्प कोर्ट के माध्यम से इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कुल जोत में से गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 209 तादादी 0.12 हैक्टेयर भूमि को [illegible] कम करते हुए तथा समस्त पक्षकारों के राज्य सरकार के निर्देशानुसार रास्ते का अंकन करते हुए तथा वादीगण को 208, 209 व 2010 की शेष भूमि को एक जगह (एक खसरा) करते हुए प्रस्ताव तैयार करने के तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर को आदेश दिए जाते हैं। समस्त उप. पक्षकारों द्वारा इसी आशय के हस्ताक्षर किये गये हैं। इस मिसल से कुल रकबा 15.72 हैक्टेयर में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं.1 ता 11 का 1/2 हिस्सा सभी पक्षकारों को स्वीकार है। इसी आधार पर प्रारंभिक डिक्री आज दिनांक 07/05/2018 को जारी

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	की जाती है। प्रकरण में निर्णय आज मेरे द्वारा दि. 01/05/18 को लिखवाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तहसील दाखिल रिकार्ड हो।

...यक कलक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राथमिकी डिग्री बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत........ सहायक कलक्टर .... मुकाम........ पेमासर .... बीकानेर

बइजलास : मोनिका बलारा, आर.ए.एस. (कैम्प प्रभारी)

ओमप्रकाश — : बनाम : — नत्थुराम आदि

मुकदमा नम्बर : 24 / 2016

दावा अन्तर्गत धारा: 53 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश जाखड़, अभिभाषक एव स्वय वादीगण मिनजानिब मुदई व श्रीमति कमला, भगवानाराम, शिवराम प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाकर डिकी दी जाती है कि लोक अदालत / कैम्प कोर्ट पेमासर मे वादीगण एवं उपस्थित प्रतिवादीगण की पारस्परिक सहमति से वाद वादीगण इस आशय से स्वीकार किया जाता हैं, कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की कुल जोत मे से खसरा नम्बर 209 का गैर मुमकिन रास्ता तादादी 0.12 हैक्टेयर को बहिब कम करके व समस्त पक्षकारो को राज्य सरकार के निर्देशानुसार रास्ते छोड़ते हुवे अंकन कर, वादीगण के कब्जे की खसरा नम्बर 208, 209, 210 की शेष भूमि को एक जोत (जगह, एक खसरे मे) करते हुवे तहसीलदार बीकानेर को भूमि व लगान विभाजन के प्रस्ताव ग्राम पेमासर के खेत ख.न. 125, 126 व 129, 140, 208, 209, 210 तादादी 15.72 हैक्टेयर भूमि मे वादीगण के 1/2 हिस्से तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के 1/2 हिस्से के आधार पर तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा जावें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

नीज .... मुबलिक ....बाबत खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शहर .... फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल यानी तक ....-........ को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 07.05.2018 को प्राथमिकी डिकी जारी की गई।

दस्तखत ....

ओहदा सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर

मुदई	रूपया	न.पै.	मुदायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट : इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन को चाहे गिरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।